

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 4(1)(3)/पंचा/रानिआ/94/II/1770

दिनांक: 23/5/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:—पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन की सूचना हेतु।

प्रसंग:—संयुक्त शासन सचिव (विधि), पंचायतीराज विभाग का पत्रांक 357/15.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त शासन सचिव (विधि), पंचायतीराज विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अधिसूचना के द्वारा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंचों के निर्वाचनों हेतु लागू शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को हटा दिया गया है। अधिसूचना के प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया समस्त संबंधितों को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,



राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

05-08
Panchayat / Raj

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

दिनांक: 15/04/19

क्र0एफ.4()संशो/अधि./विधि/पंरा/2014/357

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
जयपुर।

Panchayat
15/04/19

विषय :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19
में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्था के किसी पंच या सदस्य के निर्वाचन की अर्हताओं संबंधित प्रावधानों में किये गए संशोधन की अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 2019 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की जा रही है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


संयुक्त शासन सचिव(विधि)



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 3, शुक्रवार, शाके 1940-फरवरी 22, 2019
Phalguna 3, Friday, Saka 1940- February 22, 2019

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 22, 2019

संख्या प.2(2)विधि/2/2019:- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 4)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), की धारा 19 में,-

(i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

- (i) in clause (q), for the existing punctuation mark “;” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) existing clauses (r), (s), (t) and Explanation-III shall be deleted.

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.